मि.अ. 1201-II/01 जबलपुर

आशाचन्द / गणराज

26.8.15.	आवेदक दिनांक 29.11.02 से उप० नहीं. [illegible] [illegible] [illegible] उप० नहीं [illegible] [illegible] प्रकरण [illegible] [illegible] पैरवी [illegible] खारिज किया जाता है। [signature] सदस्य

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.

CF 1

न्यायालय राजस्व प्रमंडल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

क।

राजस्व निगरानी क्रमांक ..1201-I.... सन् 2001.

अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
16 JAN 2001
अधीक्षक

...गचंद जैन आत्मज स्व0 छिदामीलाल जैन, धंधा सेवा निवृत्त ...शक, उम्र 64 वर्ष, निवासी ग्राम शहपुरा तहसील पाटन, ...जिला जबलपुर. ---------- आवेदक

विरूद्ध

गनेश प्रसाद आत्मज फूलचंद रजक निवासी झंडा चौक, शहपुरा, तहसील पाटन, जिला जबलपुर. ---------- अनावेदक

कमि. कार्या. जबलपुर के पत्र 36/पुन./कमि/2001 दि. 29.6.2001 द्वारा 8/7/05 दि. 30/6/2001 को प्राप्त

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959.

कि आवेदक अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर द्वारा राजस्व अपील

121 सन् 2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2000 जो कि

अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 36 बी 12

2000 में पारित आदेश 23.6.2000 जो कि उन्होंने तहसीलदार श

प्रकरण क्रमांक 121/98-99 में पारित आदेश दिनांक 4.4.2000 के

पारित किया है से पीड़ित होकर यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं

आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :-

1. कि आवेदक एवं अनावेदक वार्ड नं. 6 झंडा चौक शहपुरा के

2. कि आवेदक के नरदे सेप्टिक टैंक इत्यादि का पानी प्र

के सामने स्थित नगर पालिका द्वारा बनाई गई नाली से ब

नाली में लम्बे समय से बहता जा रहा था।

3. कि अनावेदक ने बिना किसी समुचित कारण के नगर

बनाई गयी नाली तोड़ दी एवं आवेदक के नरदे का बहने वाल

का पानी बन्द कर दिया अत: आवेदक द्वारा उपरोक्त हटाने

... राजस्व संहिता की धारा 131 के तहत नायब तहसीलदार म